सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि कालुराम पुत्र जीतूराम एवं रामेश्वरलाल पुत्र जीतूराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये कुलराम पुत्र जीतूराम के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र जीतूराम जाति ब्राहमण निवासी–दुगोली का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 75, 243 में दर्ज खातेदार कुलराम पुत्र जीतूराम के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र जीतूराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम दुगोली तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 75, 243 खसरा नं. 820, 825, 853 में दर्ज नाम कालुराम पुत्र जीतूराम के स्थान पर वास्तविक नाम रामेश्वरलाल पुत्र जीतूराम जाति ब्राहमण निवासी–दुगोली तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06/10/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

06/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner